रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2010/भाद्र 16, 1932
No. 496] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2010/BHADRA 16, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 731(अ).—व्यापार चिह्न नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है और उक्त अधिनियम की उक्त उप-धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110107 को भेज सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. व्यापार चिह्न नियम, 2002 के नियम 8 के उप-नियम (2) में (जिसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है)—

(क) खंड (ख) में "व्या.चि.-54" अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा।

(ख) खंड (ग) में "व्या.चि.-71 में त्वरित खोज रिपोर्ट या प्ररूप" शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 24 में उप-नियम (1) और उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के नियम 32 का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों की प्रथम अनुसूची में, -

(क) स्तंभ (3) से संबंधित प्रविष्टि संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 10 की विद्यमान प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "3500.00" क्रमशः अंतःस्थापित की जाएगी ।

(ख) प्रविष्टि संख्या 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियां लोप की जाएंगी ।

(ग) प्रविष्टि संख्या 60 में स्तंभ (2) के अधीन मद (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियां लोप की जाएंगी ।

(घ) प्रविष्टि संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियां लोप की जाएंगी ।

6. उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में, प्ररूप व्या.चि.-11, व्या.चि.-54, व्या.चि.-71 और व्या.चि.-75 का लोप किए जाएगा ।

[फा.सं. 8/61/2009-आईपीआर-4]

वी. भास्कर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 114(अ) तारीख 26 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 428(अ), तारीख 20 मई, 2010 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2010

G.S.R. 731(E).—The following draft of certain rules to further amend the Trade Marks Rules, 2002, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), is hereby published as required by the said sub-section of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft ruels within the period so specified shall be considered by the Central Government;

The objections or suggestions may be forwarded to the Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Udyog Bhavan, New Delhi-110107.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Trade Marks (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Trade Marks Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2) of rule 8.—

(a) in clause (b), the letters and figures "TM-54" shall be omitted;

(b) in clause (c) the words, letters and figure "or for expedited search report in form TM-71" shall be omitted.

3. In rule 24 of the said rules, sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be omitted.

4. Rule 32 of the said rules shall be omitted.

5. In the First Schedule to the said rules,—

(a) under column (3) relating to Entry Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 10, for the existing entry, the entry "3500.00" shall respectively be substituted ;

(b) Entry No. 49 and the entries relating thereto shall be omitted;

(c) in entry No. 60, item (b) under column (2) and the entries relating thereto shall be omitted;

(d) Entry No. 75 and the entries relating thereto shall be omitted.

6. In the Second Schedule to the said rules, Forms TM-11, TM-54, TM-71 and TM-75 shall be omitted.

[F.No. 8/61/2009-IPR-IV]

V. BHASKAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 114 (E), dated the 26th day of February, 2002 and subsequently were amended *vide* notification number G.S.R. 428 (E), dated the 20th May, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.